

जावीद अहमद
आई.पी.एस.



अ.शा.परिपत्र संख्या-डीजी 32/2016

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

1-तिलक मार्ग, लखनऊ-226001

फोन नं०-0522-2206104, फैक्स नं० 2206120

सिफूली नं०-9454400101

ई-मेल-dgpolice@sify.com, police@up.nic.in

वेबसाइट-uppolice.gov.in

दिनांक: जून 9, 2016

प्रिय साथियों,

प्रायः यह देखने में आया है कि जनपदीय पुलिस अधिकारीगण अपने कार्यालयों में वर्दी के बजाय सादे कपड़ों में उपस्थित रहते हैं, जो उचित नहीं है। वर्दी हमारी पहचान है। निर्धारित वर्दी में पुलिस अधिकारी शासन की संवैधानिक शक्तियों का प्रतीक स्वरूप दिखाई देता है। सादे परिधान में कार्यालय उपस्थित रहने से किसी अपराधिक घटना के घटित होने अथवा कानून-व्यवस्था सम्बन्धी समस्या उत्पन्न होने की दशा में घटनास्थल पर भी वे सादे कपड़ों में ही चले जाते हैं। घटनास्थल पर अधिकारियों के सादे वस्त्रों में जाने से पुलिस बल के शक्तिहीन संगठन होने का सन्देश जाता है एवं घटनास्थल पर अधिकारियों की उपस्थिति के बावजूद उनकी मौजूदगी का अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि जनता में अधिकारियों की पहचान उनकी वर्दी से ही होती है। कानून-व्यवस्था सम्बन्धी समस्या उत्पन्न होने पर वर्दी में अधिकारी के जाने से स्थिति नियन्त्रित करने में अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव पड़ता है, जनता को मनोवैज्ञानिक संतुष्टि मिलती है कि वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं तो समस्या का समाधान शीघ्र हो जायेगा, इससे आम जनता में पुलिस की अच्छी छवि बनती है और सकारात्मक सन्देश जाता है। इसी प्रकार कार्यालय में निर्धारित वर्दी में उपस्थित रहने से आगन्तुकों एवं परिवादकर्ताओं में असमंजस नहीं होता है एवं उन्हें अधिकारी से मिलकर पर्याप्त संतुष्टि भी मिलती है। साथ ही किसी आकस्मिकता की स्थिति में अचानक घटनास्थल पर जाने की आवश्यकता पड़ने पर उन्हें वर्दी बदलने में अनावश्यक समय नष्ट नहीं करना पड़ेगा।

2. इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया है कि प्रायः अधिकारीगण सादे परिधान में अथवा बिना निर्धारित वर्दी के इलेक्ट्रॉनिक व प्रिन्ट मीडिया को इन्टरव्यू देते हैं, जो कदापि उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में पूर्व में भी निर्देश निर्गत किए गए हैं, किन्तु इनका अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

3. अतः निर्देशित किया जाता है कि फील्ड ड्यूटी के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपनी निर्धारित वर्दी में उपस्थित रहेंगे। किसी भी घटनास्थल पर सदैव निर्धारित वर्दी में ही जायेंगे तथा मीडिया से वार्ता के समय भी सभी अधिकारीगण निर्धारित वर्दी में ही रहेंगे। जनपदीय पुलिस के समस्त अधिकारीगण (चौकी प्रभारी से लेकर समस्त जनपदीय पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक/जोनल पुलिस महानिरीक्षक तक) प्रतिदिन पूर्वान्ह में निर्धारित वर्दी में कार्यालय में उपस्थित रहकर अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे एवं जन शिकायतों का निस्तारण करायेंगे।

उपरोक्त निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जाय।

00N-341(DWP)116 P/216/16

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
पुलिस अधीक्षक/प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

जावीद
9.6.
(जावीद अहमद)

लय: पुलिस
6:एसटी-एसपी-कै- 2/16

नपि :- निम्नलिखित को इस आशय से कि वह निर्गत निर्देशों का गहनता से स्वयं अध्ययन कर लें और तदनुसार अनुपालन सुनिश्चित करें एवं अधीनस्थों से करायें :-

1. अपर पुलिस अधीक्षक, कासगंज।
2. समस्त क्षेत्राधिकारी, जनपद कासगंज।
3. समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष, जनपद कासगंज।
4. प्रतिस्तर निरीक्षक/वाचक/समस्त शाखा प्रभारी, कासगंज।

पुलिस अधीक्षक,
कासगंज।